नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

जीएसटी व्यवस्था में सुधार की नई पहल

केंद्र सरकार की कर व्यवस्था में सुधार की कोशिशों का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि करदाताओं का भरोसा कायम करना और कारोबार की राह आसान बनाना भी होना चाहिए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 57 वीं बैठक में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. गिरफ्तारी और अभियोजन के प्रावधानों में राहत, जुर्माने में कमी, रिफंड की प्रक्रिया तेज करने और छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ घटाने जैसे फैसले कारोबार जगत के लिए सकारात्मक संकेत हैं. हालांकि, इन सुधारों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब इन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जमीन पर उतारा जाएगा .जीएसटी लागू होने के बाद देश में अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था एकीकृत हुई है. इससे राज्यों के बीच कारोबार की प्रक्रिया सरल हुई और कर प्रणाली को डिजिटल बनाने में मदद मिली. इसके बावजूद जटिल प्रक्रियाओं, नोटिसों, रिफंड में देरी और अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों को लेकर व्यापारियों की शिकायतें बनी रही हैं. खासकर छोटे कारोबारियों के लिए कर संबंधी औपचारिकताएं समय और संसाधनों की बड़ी चुनौती हैं. ऐसे में काउंसिल के ताजा फैसले प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

अभियोजन शुरू करने की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और न्यूनतम सजा का प्रावधान हटाने जैसे प्रस्तावों से छोटे और मध्यम कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. सामान्य जुर्माने को 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये करने का फैसला भी इसी दिशा में है. कर संबंधी अनियमितताओं और जानबूझकर की गई कर चोरी के बीच स्पष्ट अंतर होना जरूरी है. प्रक्रियागत चूक को आपराधिक अपराध की तरह देखने के बजाय उसके अनुपात में कार्रवाई की जानी चाहिए. इससे ईमानदार करदाताओं में अनावश्यक भय कम होगा.

हालांकि, राहत का अर्थ कर चोरी के प्रति नरमी नहीं होना चाहिए. बहरहाल,पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले उपभोक्ता-केंद्रित छोटे व्यवसायों के लिए वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न व्यवस्था की सिफारिश भी स्वागतयोग्य है. ई-कॉमर्स से जुड़े छोटे विक्रेताओं के लिए व्यावसायिक पते संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से डिजिटल बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है. वहीं, माल की भौतिक जांच के लिए ठोस सूचना और वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की व्यवस्था अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने में मददगार हो सकती है .जीएसटी दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह अपने आप में राहत या निराशा का विषय नहीं, क्योंकि कर सुधारों का मूल्यांकन केवल दरों से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सरलता से होना चाहिए. अब चुनौती इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन की है. नियमों की स्पष्ट व्याख्या, अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था मजबूत करनी होगी. दरअसल,करदाता को हर कदम पर संदेह की नजर से देखने के बजाय उसे व्यवस्था का भागीदार मानना समय की मांग है. सरकार और करदाता के बीच भरोसा मजबूत होगा, तभी कारोबार आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को टिकाऊ गति मिलेगी.

डिजिटल इंडिया के भविष्य के लिए एमडीआर गंभीर चेतावनी

भारत ने पिछले एक दशक में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति यूपीआई के रूप में देखी है. एक ऐसी तकनीक जिसने देश के सबसे गरीब रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक, और एक आम वेतनभोगी से लेकर युवाओं तक की आदत को पूरी तरह बदल दिया. लोग बटुआ घर छोड़कर सिर्फ स्मार्टफोन लेकर निकलने लगे लेकिन 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहे स्ट्रक्र (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) के नए नियमों ने देश के इस सबसे सफल डिजिटल ढांचे और आम जनता के भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है. बाजार में एक गहरा अविश्वास फैल रहा है. सरकारी मीडिया पर जो सफाइयां पेश की जा रही हैं, वे जमीनी हकीकत से कोसों दूर और हास्यास्पद हैं.

नीति निर्माताओं को इन कड़वे सच और संभावित खतरों को तुरंत समझना होगा. सरकारी चैनलों पर बताया जा रहा है कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च बहुत अधिक है, लेकिन यह क्यों छिपाया जा रहा है कि सरकार की अपनी जेब में यह पैसा कहाँ से आता है? यह पैसा देश की इसी आम जनता और मध्यम वर्ग के इनकम टैक्स और जीएसटी से आता है. जब जनता पहले से ही टैक्स दे रही है, तो डिजिटल भुगतान जैसी बुनियादी सेवा को मुफ्त बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. यूपीआई के आने से फिजिकल कैश का सर्कुलेशन बहुत कम हुआ है. आरबीआई को हर साल हजारों करोड़ रुपये नए नोट छापने, सिक्कों की ढलाई करने, फटे नोटों को नष्ट करने और सुरक्षित कैश वैन चलाने में खर्च करने पड़ते थे. इस डिजिटल क्रांति ने सरकार के इस सालाना खर्च में जो हजारों करोड़ रुपये की सीधी बचत कराई है, उसका एक हिस्सा इस तकनीक को मुफ्त रखने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? डिजिटल पेमेंट की पारदर्शिता के कारण आज भारत का असंगठित बाजार संगठित हो रहा है.

यही वजह है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन हर महीने 2 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को छू रहा है. जो तकनीक सरकार को सबसे ज्यादा अमीर बना रही है, उसी के संचालन के नाम पर अब व्यापारियों और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर बोझ डालना एक प्रकार का आर्थिक विरोधाभास है. भारत का उपभोक्ता और व्यापारी बेहद समझदार है. यदि व्यापारियों ने एमडीआर से बचने के लिए ग्राहकों को 'कैश डिस्काउंट' ऑफर करना शुरू कर दिया, तो ग्राहक शिकायत करने नहीं जाएगा, वह खुशी-खुशी नकद भुगतान कर देगा. व्यापारी 2000 से कम के छोटे और विभाजित बिल बनाएंगे. इससे भी बड़ा खतरा बैंकिंग सिस्टम पर है. वह वेतनभोगी मध्यम वर्ग जो अपनी सैलरी बैंक खातों में सुरक्षित रखकर डिजिटल खर्च करता था, वह असुरक्षा और अविश्वास के कारण महीने के पहले ही हफ्ते में बैंक से अपना पूरा पैसा नकद निकालकर घर में रख लेगा. इससे बैंकों में नकदी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, जिससे ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी.

देश एक बार फिर 100% कैश इकोनॉमी और ब्लैक मनी के पुराने दौर में लौट जाएगा. एकमात्र समाधान यह है कि इस फैसले को पूरी तरह खारिज किया जाए. यह फैसला सरकार के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा. इससे जनता में भारी जनाक्रोश पैदा हो सकता है जो सरकार की साख को शून्य कर देगा. देश और सरकार दोनों के हित में एकमात्र उपाय यही है कि यूपीआई को 'पब्लिक यूटिलिटी' (अनिवार्य सरकारी सेवा) घोषित किया जाए और इस पर कभी कोई चार्ज न लगाया जाए. यह तथ्य भी अपनी जगह है कि पिछले सिर्फ 9 महीनों में यूपीआई 200 बिलियन (अरब) ट्रांजेक्शन पार कर चुका है. वित्त वर्ष 2026 में जनवरी से सितंबर तक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क ने 205.24 अरब ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए. सरकार को ऐसा नहीं लगता कि 15 अक्टूबर से एमडीआर लागू करने के बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन में कोई कमी आएगी. डिजिटल पेमेंट करना लोगों की आदत बन चुकी है. यह त्योहारों की बड़ी खरीदारी के दौरान सुविधाजनक भी रहेगा क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए कैश ले जाना पसंद नहीं करते. एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपए रहेगी.

-कृष्णानंद शुक्ला



नोटों की छपाई की बचत का हिसाब कहां है?

सरकारी चैनलों पर बताया जा रहा है कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च बहुत अधिक है, लेकिन यह क्यों छिपाया जा रहा है कि सरकार की अपनी जेब में यह पैसा कहाँ से आता है? यह पैसा देश की इसी आम जनता और मध्यम वर्ग के इनकम टैक्स और जीएसटी से आता है. जब जनता पहले से ही टैक्स दे रही है, तो डिजिटल भुगतान जैसी बुनियादी सेवा को मुफ्त बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का बीएलओ पर दबाव

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चला रखी है, लेकिन इसे लेकर कर्नाटक में व्याप्त धांधली को लेकर काफी रोष देखा जा रहा है. आरोप है कि वहां बेलगावी में बड़ी तादाद में पहले से नाम छपे हुए फॉर्म-7 आवेदन पर मुस्लिम मतदाताओं के दस्तखत करवाए जा रहे हैं या अंगूठे का निशान लगवाया जा रहा है. इस फॉर्म के आधार पर मतदाता को गैरहाजिर या स्थानांतरित बताया जाता है. खुद चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बीएलओ ने कहा कि उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ताकि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा सकें. बीएलओ का कहना है कि स्वयं को नगरपालिका अधिकारी बताने वाले लोगों ने यह पूर्व मुद्रित फॉर्म दिए, जिसमें मतदाता का विवरण पहले से भरा है तथा केवल आपत्तिकर्ता के नाम की जगह कोरी छोड़ी गई है. बीएलओ की शिकायत है कि उन पर तत्काल इन नाम हटाने वाले आवेदनों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है. कुछ लोग फर्जी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) बनकर उन्हें फोन कॉल कर रहे हैं. सिर्फ बेलगावी ही नहीं, बीदर जिले के भालकी चुनाव क्षेत्र में भी आपत्तियों और दावे की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी 1,100 फॉर्म 7 के आवेदन पाए गए, जिनमें 99 फीसदी सामूहिक रूप से पेश किए गए थे. यह धांधली सामने आने पर कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के सामने 5 घंटे तक धरने पर बैठे. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि यह लोगों से उनका मताधिकार छीनने की आपराधिक साजिश है तथा बीजेपी कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति-जनजातियों को निशाना बना रहे हैं. इसके बाद कर्नाटक के सीईओ अंबूकुमार ने ईआरओ को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने फर्जी डिक्लेरेशन दिया है या निराधार आपत्ति उठाई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें. कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की. इसके बाद बेलगावी व विजयपुरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद मे एकसाथ पेश किए गए



संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

मध्य क्षेत्र की डायरी

न्यू मार्केट में आग सिस्टम फिर राख!

हर हादसे के बाद जागता है प्रशासन और फिर सो जाता है

अतिक्रमण, दमकल के रास्ते, फायर सेफ्टी के सवाल बरकरार



संदीप चंसौरिया

भोपाल के न्यू मार्केट में गुरुवार को आग ने छह दुकानों को अपनी चपेट में लिया और कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया. लेकिन, इस आग में सिर्फ दुकानें और सामान नहीं जले. राजधानी की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई. त्योहार के ऐन पहले हुए इस हादसे ने एक बार फिर बता दिया कि भोपाल का सबसे व्यस्त बाजार भगवान भरोसे चल रहा है. राहत इस बात की है कि आग दोपहर करीब तीन बजे लगी. यही हादसा शाम को होता, जब बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो नुकसान का हिसाब शायद सिर्फ जली दुकानों और राख हुए माल से नहीं लगाया जा सकता था.न्यू मार्केट में आग नई नहीं, प्रशासन की भूलने की आदत पुरानी है. अक्टूबर 2020 में आग ने 14 दुकानों को तबाह कर दिया था. फरवरी 2022 में सब-वे की दुकानों तक लपटें पहुंचीं और आग बुझाने में करीब चार घंटे लगे. इससे पहले भी आग की घटनाएं हो चुकी हैं. हर बार वही कहानी दोहराई जाती है. दमकल पहुंची, आग बुझी, नुकसान का आकलन हुआ, अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे हुए. फिर बाजार अपनी पुरानी चाल पर लौट आया और प्रशासन अपनी पुरानी नींद में. इतने हादसों के बाद भी अगर अग्निशमन व्यवस्था और रास्तों की उपलब्धता सवालों के घेरे में हैं, तो इसे चूक नहीं, व्यवस्था की स्थायी बीमारी ही कहा जाएगा.



दमकल को रास्ता नहीं, अतिक्रमण को पूरी छूट: न्यू मार्केट की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहां कारोबार तो पूरे बाजार का होता है, लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल को रास्ता तलाशना पड़ता है. गलियों में अतिक्रमण, दुकानों के बाहर फैला सामान, ठेले और उलझे बिजली के तार आपात स्थिति को और खतरनाक बना देते हैं. बाजार में पांच स्थानों पर फायर हाइड्रेंट लगाने के लिए करीब 50 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनी थी. लेकिन वहीं फलीभूत नहीं हुई. यानी सुरक्षा के इंतजाम कागज पर मौजूद थे, जरूरत पड़ने पर उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए. यहां सवाल सिर्फ अतिक्रमण करने वालों का नहीं है. अतिक्रमण हटाना नगर निगम की जिम्मेदारी है, बिजली व्यवस्था की निगरानी संबंधित एजेंसियों का काम है और अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व. फिर जवाबदेही किसकी है? क्या किसी अधिकारी ने नियमित रूप से जांच की, क्या खराब उपकरणों को दुरुस्त कराया गया, क्या आपातकालीन रास्तों का ऑडिट हुआ? अगर हुआ, तो उसका नतीजा गुरुवार को क्यों नहीं दिखा? और अगर नहीं हुआ, तो जिम्मेदारों से सवाल कौन पूछेगा?

राजधानी में पूरी सरकार, बाजार फिर भी बेबस: भोपाल कोई ऐसा शहर नहीं जहां प्रशासनिक अमले की कमी या सरकार की अनुपस्थिति का बहाना बनाया जा सके. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों तक, पूरी सत्ता यहीं बैठती है. इसके बावजूद राजधानी के पुराने और प्रमुख बाजार की यह हालत बताती है कि समस्या जानकारी की नहीं, प्राथमिकता की है. बाजार को व्यवस्थित करने के लिए जिस निरंतरता और सख्ती की जरूरत है, वह हादसे के बाद दिखाई देती है, सामान्य दिनों में गायब हो जाती है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ समय के लिए रास्ते साफ कर सकती है, लेकिन जब तक नियमित निगरानी नहीं होगी, ठेले और अस्थायी कब्जे फिर लौट आएंगे. यही न्यू मार्केट की पुरानी पटकथा है.

राख से सबक निकलेगा या फिर वही कहानी?

त्योहारों के दौरान बाजार में भीड़ बढ़ना तय है. ऐसे में दमकल की पहुंच, निकासी के रास्ते, बिजली की वायरिंग और अग्निशमन उपकरणों की तत्काल जांच जरूरी है. साथ ही पिछली घटनाओं के बाद जारी निर्देशों और उन पर हुई कार्रवाई का हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए. आखिर 2020 में 14 दुकानें जलने के बाद क्या बदला? 2022 में हाइड्रेंट की उपयोगिता पर सवाल उठने के बाद किसने जवाब दिया? और अब गुरुवार की आग के बाद कौन सुनिश्चित करेगा कि बाजार फिर उसी खतरे के बीच कारोबार न करे? न्यू मार्केट को एक और जांच, एक और बैठक या एक और आश्वासन की जरूरत नहीं है. उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जो आग लगने से पहले सक्रिय हो, न कि लपटें उठने के बाद. हर बार दुकानें जलती हैं, प्रशासन की संवेदनाएं जागती हैं और कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाता है. लेकिन सामान्य वही नहीं हो सकता, जिसमें अगली आग का खतरा पहले से मौजूद हो. अब भी सबक नहीं लिया गया, तो अगली बार प्रशासन के पास अफसोस जताने का अवसर भी शायद बहुत देर से आए.

निशानेबाज

कोई तकनीक न चुराए इसका डर, कंपनी ने किया रोबोट का मर्डर

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, दुनिया कितनी निर्मम है. अमेरिका में एक कंपनी ने मानव जैसे दिखाई देने वाले अपने ह्यूमनाइड रोबोट की हत्या कर दी. वजह यह थी कि कंपनी ने रोबोट के नए मॉडेल तैयार कर लिए थे, इसलिए अब 2 वर्ष पुराने एफ 02 मॉडेल के रोबोट की जरूरत नहीं रह गई थी. यह रोबोट पहले बीएमडब्ल्यू कार बनाने के कारखाने में काम करते थे.'

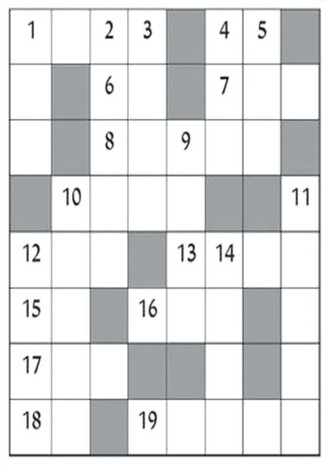
हमने कहा, 'जब जरूरत नहीं रही तो पुराने रोबोट किस काम के? रेस का कीमती घोड़ा भी यदि लंगड़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसे गोली मार देता है. यह बहुत प्रैक्टिकल सोच है. रोबोटिक्स या रोबोट से जुड़ा साइंस लगातार अपडेट हो रहा है. नए रोबोट ज्यादा उपयोगी हैं तो पुराने ह्यूमनाइड को सजा-ए-मौत दे दी गई. कंपनी को डर था कि इन महंगे और कार्यकुशल रोबोट को यदि भंगार में निकाल दिया गया तो उसके पार्ट चोरी चले जाएंगे, तकनीक भी लीक हो जाएगी, इसलिए उन्हें रिटायर करना नुकसानदेह है.'



पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, कितने ही लोगों को पुरानी चीजों से भावनात्मक लगाव होता है. हमारे पास आज भी पुराने वीसीडी, वीसीआर, टेपरिकॉर्डर, कैसेट, रीलवाले कैमरे रखे हैं. पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी किसी कोने में पड़ा है.' हमने कहा, 'वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार घर में ज्यादा पुरानी और अनुपयोगी चीजें रखना अशुभ है. आपका घर कोई संग्रहालय नहीं है. इस कबाड़ को तुरंत निकाल डालिए. यूरोप, अमेरिका में लोग इतने धनवान हैं कि हर 2-3 साल में पुराना फर्नीचर फ्रिज, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, एलईडी, मेट्रेस, गलीचे निकालकर बाहर रख देते हैं कि कोई जरूरतमंद उठाकर ले जाएगा. कार 4-5 साल चलाने के बाद किसी चैरिटेबल संस्था को मुफ्त भेंट कर देते हैं. कंपनी ने भी कोई मोह न रखते हुए पुराने रोबोट को धधकती आग की भट्ठी में डालकर पूरी तरह पिघला डाला. इसके लिए कंपनी ने फिल्म 'टर्मिनेटर' के हीरो व कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नाल्ड स्वार्जनेगर से सलाह मांगी थी. उन्होंने सीधे कहा कि काम निकल गया न, अब इनको सीधे भट्ठी में झोंक दो.'

शब्द-सागर CROSS WORD 12404

- डॉ. प्रभा खातीवाला



1. मुसलमानों की विवाह पद्धति 2. धारा का वेग, अटूट क्रम में (सं) 3. जिसमें रस हो, रसवाला 4. बड़ाई, गौरव, महत्व. 5. वस्तु, चीज, असबाब 9. हिलना-डोलना, जनसाधारण में फैली दौड़धूप 10. आश्रय, कार्य का भार, निर्भरता 11. प्रहरी, पहरा देने वाला 12. आना 14. राजपूताना या अलवर जयपुर आदि पुरानी रियासतों का संयुक्त प्रदेश जो आज एक राज्य है

बाएं से दाएं

1. बेबुनियाद, मिथ्या, निराश्रय 4. मस्सा, मच्छर 6. लगाम, बागडोर 7. हिमालय (सं.) 8. गतिशील, बहने वाला (सं.) 10. जंगल में लगने वाली आग 12. ऊंचे स्वर से उच्चारण, संगीत में स्वरों का चढ़ाव (सं.) 13. पशुओं के चरने की भूमि, चरनी 15. दुख, शोक 16. जल में उत्पन्न होने वाला (सं.) 17. बंदर-भालू आदि नचाकर जीविकोपार्जन करने वाला 18. पुरुष जाति का 19. बहुत बड़ी आबादी वाला शहर

ऊपर से नीचे

Solution 12403

सं	क	ट	का	ल	■	सं	ज्ञा
वा	द	न	■	ल	■	गी	त
द	र	■	हि	क	म	त	■
दा	■	ता	ना	■	■	■	चि
ता	सी	र	■	द	ह	श	त
■	प	■	क	म	ल	■	क
श	■	ना	वि	क	■	श	ब
चि	रा	ग	■	ल	■	मी	रा

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद होगा. अधिकारी के कोप कासामना करना होगा. व्यापार में अनिश्चितता की स्थिति रहेगी. वर्ष के मध्य में बैचारिक मंथन होगा. धार्मिक कार्यों में रूचि रहेगी. वर्ष के अन्त में आर्थिक योजनाओं में लाभ होगा. साहसिक कार्यों में वृद्धि होगी, मनोबल बढेगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद होगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को अधिकारियों के कोप का सामना करना होगा. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को बैचारिक मंथन होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. सिंह राशि के व्यक्तियों को साहसिक क्षमता में वृद्धि होगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों में रूचि रहेगी. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को आर्थिक योजनाओं में लाभ होगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक स्वस्थ्य, सुन्दर, दुबला, पतला, किन्तु लबे कद का होगा, इनकी शिक्षा अच्छी होती है, लेखन अध्ययन कार्य में सफलता मिलेगी, आय के एक से अधिक साधन रहेंगे, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, दायित्वों की पूर्ति होगी, माता पिता का भक्त होगा.

मेष- मधुरवाणी से सबका दिल जीत लेंगे, प्रापर्टी का विवाद हल होगा,धार्मिक कार्यों में यश-मान सम्मान मिलेगा, मित्रता उपयोगी रहेगी.

वृषभ- तरक्की का अवसर है, जिसे आप चाहते हैं, उससे मन की बात कह दें, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगी. शुभ समाचार मिलने का योग है.

मिथुन- अनुभवी लोगों का साथ सुखद रहेगा, कार्यो को इच्छित सफलता प्राप्त होगी, सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा, राजकीय सहयोग से शत्रु बाधा दूर होगी.

कर्क- घरेलू कार्य पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, कार्यस्थल पर माहौल अनुकूल रहेगा, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्यों में रूचि रहेगी.

सिंह- बातचीत में सावधानी रखें, धैर्य से काम लें, अनावश्यक खर्च से चिन्ता होगी, किसी उत्सव आदि में शामिल होने का योग है, मनोरंजन के कार्यों में सफलता मिलेगी.

कन्या- जीवनसाथी की भावनाओं पर ध्यान दें, पुराना विवाद पक्ष में सुलझेगा, समस्याओं का सरलता से समाधान होगा, नियमितता का ध्यान रखकर कार्य करें.

तुला- योजना लागू करने का सही समय है, नये संपर्को से लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ का योग हैं, पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक- जीवनसाथी की मदद से मुश्किल राह आसान होगी, बुजुर्गो का ध्यान रखें, सुख ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो सकती है, प्रवास का योग है.

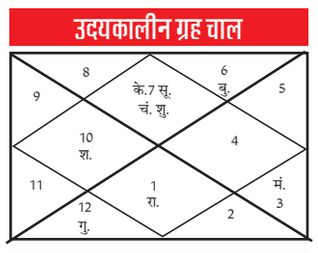
धनु- सामाजिक जीवन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, प्रियजन की मुलाकात सुखद रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, जमीन जायजाद का सुख मिलेगा.

मकर- आफ्सि के कार्यो की अधिकता रह सकती है, आवेश में फैसला गलत होगा, विरोधी पक्ष के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है.

कुम्भ- मित्रों के साथ समय मौजमस्ती में बीतेगा, माता पिता से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखद एवं आनन्ददायक रहेगा, लाभ का योग है.

मीन- भावनात्मक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रियजन की मदद से कार्य पूरे होंगे, लंबित कार्यो को पूरा करना ही हितकर रहेगा, अनावश्यक व्ययभार न बढ़ायें.

उदयकालीन ग्रह चाल



पंचांग

रा.मि. 18 संवत् 2083 आश्विन कृष्ण अमावस्या शनिवासरे रात 8/32, हस्त नक्षत्रे रात 10/4, ऐन्द्र योगे रात 11/25, चतुष्पद करणे सू.उ. 6/12, सू.अ. 5/48, चन्द्रचार कन्या, पर्व- पितृ मोक्ष अमावस्या, स्नानदान श्राद्ध अमावस्या, पितृ तर्पण समाप्त, शु.रा. 6, 8, 9, 12, 1, 4 अ.रा. 7, 10, 11, 2, 3, 5 शुभांक- 8, 0, 5.

व्यापार भविष्य

आश्विन कृष्ण अमावस्या को हस्त नक्षत्र के प्रभाव से रूई, कपास, सूत, वस्त्र, नारियल, सुपारी, मेवा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, व शेयर के भाव में मंदी होगी. भाग्यांक 2499 है.

SUDOKU 7536

5					9	6		
						1	4	
			2	8				
			8				5	2
6								7
1	4				3			
				4	1			
	2	5						
		3	7					4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7535

3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7